संन्यास के बाद सचिन का पहला फोन, रहाणे बोले- बिना पछतावे क्रिकेट को कहा अलविदा

संन्यास के बाद सचिन का पहला फोन, रहाणे बोले- बिना पछतावे क्रिकेट को कहा अलविदा

एजेंसी । नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेकर अपने लंबे करियर को विराम दे दिया है। भारतीय टेस्ट टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज रहे रहाणे ने संन्यास के बाद बताया कि उनके फैसले पर क्रिकेट जगत के कई दिग्गजों ने उनसे संपर्क किया। इनमें महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे नाम शामिल हैं। रहाणे ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बताया कि संन्यास की घोषणा के बाद उन्हें सबसे पहले सचिन तेंदुलकर का फोन आया था। सचिन ने उनसे कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि रहाणे भारत के लिए इससे भी ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे। रहाणे ने बताया कि उन्होंने सचिन से कहा कि वह अपने करियर को बिना किसी पछतावे के खत्म करना चाहते थे और इसे अनावश्यक रूप से आगे नहीं खींचना चाहते थे।

अफगानिस्तान ने 2027 वनडे विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई किया

एजेंसी । बेलफास्ट

अफगानिस्तान टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2027 वनडे विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर ली है। सोमवार को बेलफास्ट के मिविलि सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले गए तीसरे वनडे में अफगानिस्तान ने आयरलैंड को रोमांचक मुकाबले में तीन विकेट से मात दी। इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने पांच मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। टॉस के बाद पहले गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने आयरलैंड की पूरी टीम को 46.3 ओवर में 206 रन पर समेट दिया। अफगान गेंदबाजों ने शुरुआत से ही आयरिश बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा और नियमित अंतराल पर विकेट हासिल किए। हालांकि, आयरलैंड ने नौवें विकेट के लिए अहम साझेदारी कर स्कोर को 200 के पार पहुंचाया और अफगानिस्तान के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। 207 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने एक समय 97 रन पर सिर्फ दो विकेट गंवाए थे और मुकाबला उसके नियंत्रण में नजर आ रहा था। लेकिन इसके बाद टीम ने तेजी से विकेट गंवाए। अफगानिस्तान ने 176 रन तक पहुंचते-पहुंचते अपने पांच विकेट और गंवा दिए। स्कोर 176/7 होने के बाद मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया और आयरलैंड की जीत की उम्मीदें भी बढ़ गईं। ऐसे मुश्किल समय में अनुभवी ऑलराउंडर राशिद खान ने मोर्चा संभाला। उन्होंने धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 37 रन बनाए। राशिद ने 43 गेंदों की अपनी पारी में चार चौके लगाए। दूसरे छोर पर पामिन अहमदजई ने उनका बखूबी साथ दिया। उन्होंने 26 गेंदों पर नाबाद 4 रन बनाए। दोनों ने आखिरी तक विकेट बचाए रखा और अफगानिस्तान को 44.5 ओवर में लक्ष्य तक पहुंचा दिया। राशिद खान को इस मैच में उनके निर्णायक प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आयरलैंड के खिलाफ जीत के साथ अफगानिस्तान ने 2027 वनडे विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वनडे रैंकिंग में आठवें स्थान पर मौजूद अफगानिस्तान का यह वनडे विश्व कप में चौथा हिस्सा होगा। 2027 वनडे विश्व कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से करेंगे। अफगानिस्तान ने लगातार रहमत शाह के जीत के बाद गेंदबाजों की तारीफकी। उन्होंने कहा कि गेंदबाजों ने परिस्थितियों को जल्दी समझा और मैदान के हिसाब से अपनी योजनाओं को अच्छी तरह लागू किया। रहमत शाह ने खास तौर पर पामिन अहमदजई, राशिद खान और गजनफर के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि सभी गेंदबाजों ने परिस्थितियों का आकलन करते हुए सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। कप्तान ने माना कि कम स्कोर वाले मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसे मैच हमेशा मुश्किल होते हैं, लेकिन टीम ने आखिरकार जीत हासिल कर ली। रहमत ने आयरलैंड की नौवें विकेट की साझेदारी का भी जिक्र किया और कहा कि भविष्य में टीम ऐसी साझेदारियों को जल्द तोड़ने की कोशिश करेगी। इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है।

न्यायालय तहसीलदार बसना
जिला महासमुन्द (छ.ग.)
// ईनाम्रार //
क्रमांक/295/क.ब./2026
बसना, दिनांक 10.08.2026
शासन द्वारा सर्वसाधारण के लिए सूचनार्थ प्रकाशन कराया जाता है कि आवेदक / आवेदिका तोकहाण पोल पिता/पति गंगूराम पटेल निवासी ग्राम / पता कांकीपारी तहसील बसना द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक/आवेदिका अपने स्वयं/पुत्र/पुत्री / माता / पिता चंद्रमणी पटेल का दिनांक 06.09.2019 को मेरा पता कांकीपारी में जन्म / मृत्यु हुआ है। उक्त जन्म / मृत्यु का पंजीयन नहीं हो पाने के कारण उक्त तिथि में स्वयं/पुत्र/पुत्री / माता/पिता चंद्रमणी पटेल के जन्म/मृत्यु की घटना पंजीकृत किये जाने हेतु इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है ।
उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को किसी भी प्रकार के आक्षेप / दावा हो अथवा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना हो तो वे स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 24.8.26 को उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। बाद में प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा ।
आज दिनांक 10.8.26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।
मुहर तहसीलदार बसना

न्यायालय नजूल अधिकारी कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
पी.एस.डब्ल्यू/2026/अधिकारी/38-6/2025-26
(सूचनाकार)
शासन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सोनेन मुकाम उत्कृष्ट विद्यालय, विकास सिंह उत्कृष्ट विद्यालय, निवासी तोकाकानार कांकेर के द्वारा मोहल्ला सोनाकानार कांकेर में स्थित भूमि खसरा नं. 6 की, रकबा 0.1 डेसमल 10 एकड़, कानूनी कब्जा, व्यक्तिगत भू-उपयोग 4.74 के शीर्ष कार्य योजना निराकरण किया जाने हेतु, कांकेर नजूल अधिकारी में दर्ज है। पटवारी हल्का कांकेर नंबर निराकरण तिथि की मूलभू दिनांक 20.04.2026 को होने का उल्लेख करते हुए मुख्य पटवारी का पत्र उद्धृत अधिकारी के निराकरण का निर्णय पारित किया गया है। उक्त भूमि पटवारी का पत्र उद्धृत अधिकारी के राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत एक न्यायालय के आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण एक न्यायालय में निराकरणाधीन है।
अतः इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, निकाय आदि को कोई दावा आपत्ति हो तो न्यायालयीन अवधि में इस उपरोक्त के दिनांक समाचार पत्र में प्रकाशन / पत्र-पोस्ट में चाय के 15 दिवस के भीतर स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में लिखित दावा प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात उक्त दावा आपत्ति पर सुनवाई नहीं की जायेगी ।
आज दिनांक 04/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।
मुहर नजूल अधिकारी
उत्तर बस्तर कांकेर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) विमाना, जिला कवीरधाम-भाटापारा (छ.ग.)
// ईनाम्रार //
प्र.क्र.....क्रमांक वर्ष 2026-28
यह सूचित किया जाता है कि आवेदक ग्राम, जनपदीय सूचित किया जाता है कि आवेदक अभिभाषक अधिकारी की मौखिक निवेदन के दिनांक आवेदक अभिभाषक अधिकारी के मौखिक सूचित किया कार्यालयीन कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि आवेदक अभिभाषक के द्वारा मोहल्ला सोनाकानार कांकेर में स्थित भूमि खसरा नं. 6 की, रकबा 0.1 डेसमल 10 एकड़, कानूनी कब्जा, व्यक्तिगत भू-उपयोग 4.74 के शीर्ष कार्य योजना निराकरण किया जाने हेतु, कांकेर नजूल अधिकारी में दर्ज है। पटवारी हल्का कांकेर नंबर निराकरण तिथि की मूलभू दिनांक 20.04.2026 को होने का उल्लेख करते हुए मुख्य पटवारी का पत्र उद्धृत अधिकारी के निराकरण का निर्णय पारित किया गया है। उक्त भूमि पटवारी का पत्र उद्धृत अधिकारी के राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत एक न्यायालय के आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण एक न्यायालय में निराकरणाधीन है।
अतः इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, निकाय आदि को कोई दावा आपत्ति हो तो न्यायालयीन अवधि में इस उपरोक्त के दिनांक समाचार पत्र में प्रकाशन / पत्र-पोस्ट में चाय के 15 दिवस के भीतर स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में लिखित दावा प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात उक्त दावा आपत्ति पर सुनवाई नहीं की जायेगी ।
आज दिनांक 04/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।
मुहर अनुविभागीय अधिकारी (रा.), विमाना

न्यायालय तहसीलदार धर्मौदा जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
// ईनाम्रार //
क्रमांक/ /वि-6/2026-2026
प्रकरण एकीकृत पंजी/ 1/2026
तहसील तहसील, जिला रायपुर (छ.ग.)
रायपुर, दिनांक 10/08/2026
आवेदक श्री मनोज कुमार साहू निवासी ग्राम बीजाकुन थाना सोनी निवासी डी-4, सेक्टर 2, रेवेन्स नगर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है कि उक्त आवेदक/आवेदिका के पिता स्वर्गीय, पुत्र/पत्नी स्वर्गीय व्यक्तिगत जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित भूमि खसरा नंबर 2012 का भाग रकबा 0.202 है, यानी 2000 वर्गमीटर भूमि को पंजीकृत बैनामा दिनांक 12.08.2026 के माध्यम से व्यक्तिगत द्वारा निकाल की तिकाना साहू जिला रायपुर, तीरथराम साहू, निवास ग्रामपंचायत धर्मौदा, तहसील धर्मौदा जिला रायपुर (छ.ग.) के क्रय का स्वतंत्रता एवं अधिकार अर्जित किया है। साथ ही अपने अभिभाषक अधिकारी के निकाल का साथ एवं है। अभिभाषक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन पत्र के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, निकाय आदि को कोई दावा आपत्ति हो तो वे अपने अभिभाषक के माध्यम द्वारा नियत तारीख में लिखित दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात उक्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।
आज दिनांक 10/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।
मुहर तहसीलदार धर्मौदा जिला रायपुर (छ.ग.)

शपथपत्र
मैं हेमलेन (पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) पत्नी रेवा राम ठाकुर निवासी पीना एतदद्वारा मैं पूर्णतः पुष्टि करता हूँ तथानिम्नानुसार घोषित करता हूँ;
1. मैं पीना का स्थायी निवासी हूँ।
2. मेरा पुराना नाम हेमीन है और मैं अपना नाम बदलकर (नया नाम) हेमलता बाई ठाकुर करवाना चाहती हूँ।
3. मेरे पुराने नाम से किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है और न ही किसी बैंक में जमा की राशि शेष है।
4. मैं नाम बदलकर, यदि कोई, गैर कानूनी काम कराऊंकरती हूँ, तो उसके लिए मैं पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।
5. मैं यह शपथ पत्र अपने पूरे होशोहवास में रहकर हस्ताक्षर कर रहा हूं/ रही हूं तथा समस्त प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं/ रही हूं।
हेमलता बाई ठाकुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
// सूचना-प्रकाशन //
क्रमांक/ वि-/क्रमांक/ जिला/तहसीलदार/2026
प्रति, रायपुर, दिनांक 10/08/2026
प्रति, निवासीगण ग्राम पीना पंचायत साहू निवासी, निवासीगण ग्राम तरेगांव ग्राम प्रति, श्री सोनाई अधिकारीगण निवास श्री राम अधिकारीगण निवासी निवासीगण ग्राम तरेगांव ग्राम प्रति, ग्राम पंचायत, पुत्र, पुत्रवधूगण पत्नियां निवास ग्रामवासी पत्नियां, निवासी अधिकारीगण निवासी निवासीगण ग्राम तरेगांव ग्राम प्रति, श्री